IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
बिहार शोध समागम BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 1, January-March, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: चुनौतियाँ एवं अवसर बिहार के संदर्भ में

डॉ. मुस्तफा नवाज
सहायक प्राध्यापक (एल.एस.डब्लू.)
शेरशाह कॉलेज, सासाराम, बिहार

शोध सारांश : शिक्षा मानव को ज्ञान, कौशल तथा तार्किक सोच प्रदान करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन द्वारा समाज में जीवन व्यतीत करने योग्य एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, जिससे वह आत्म–विकास के साथ–साथ देश का भी कल्याण करता है। भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधाार भारतीय शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' वुड डिस्पैच से प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आलोक में तकनीकी शिक्षा एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई, जो देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता में सुधार पर फोकस करती थी। सन् 1986 में लागू दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा तक सार्वत्रिक पहुँच तथा ड्रॉपआउट न्यूनीकरण पर केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देती है। लेकिन, बिहार में शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों–बुनियादी ढाँचे का अभाव, उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी, निर्धनता, ड्रॉपआउट की समस्या तथा समुचित मार्गदर्शन का अभाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद यह नीति विद्यार्थियों के लिए लचीला पाठ्यक्रम, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विकास के साथ–साथ शिक्षकों हेतु बेहतर प्रशिक्षण, सतत विकास, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से रोचक शिक्षण, समग्र मूल्यांकन, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देती है। साथ ही अनुभवात्मक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान एवं समुदाय से अधिगम के साथ–साथ क्रेडिट बैंक के माध्यम से डिग्री को लचीली बनाकर वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अपनी प्रासंगिकता भली–भाँति साबित कर रही है।

कुँजी शब्द : ज्ञान, कौशल, सर्वांगीण विकास, मैग्नाकार्टा, नवाचार, सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता, ड्रॉपआउट, समावेशी शिक्षा, चुनौती, अधिगम, प्रासंगिकता।

प्रस्तावना : शिक्षा संस्कृत भाषा के 'शिक्ष्' धातु से बनी है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। यह ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। साथ ही उसे आत्मनिर्भर, समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने योग्य तथा एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है और जिससे व्यक्ति अपने विकास के साथ–साथ समाज और देश का भी कल्याण करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज और देश की उन्नति की एक प्रमुख धारा है, जो व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम भी बनती है। भारत में शिक्षा सुधार की पहल भारतीय शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' के रूप में विख्यात 1854 के वुड डिस्पैच से शुरू हुई, जिसने शिक्षा के उद्देश्य तथा माध्यम पर वृहत् योजना ब्रिटिश भारतीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। आजादी के बाद 1948 ई0 में विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था जिसकी अनुशंसा पर 1950 के दशक में तकनीकी शिक्षा एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा 1960 के दशक में भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना देश के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 ई0 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में लागू की गई, जो देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार पर फोकस करती थी। सन् 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के कार्यकाल में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जो शिक्षा तक सार्वत्रिक पहुँच तथा विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के ड्रॉपआउट न्यूनीकरण पर केन्द्रित थी। सन् 2009 में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार (अनुच्छेद–21A) बना दिया। सन् 2020 में कोविड–19 पैनडेमिक के दौरान 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू की गई जो शिक्षा को समावेशी, कौशल आधारित तथा छात्र–केन्द्रित बनाने पर बल देती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित यह शिक्षा नीति प्री–स्कूल से पी–एचडी तक की शिक्षा को आधुनिक बनाकर इसे मानवीय मूल्यों से जोड़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता, अनुसंधान, डिजिटल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लचीलापन प्रमुख है।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास की मनोकामना से लबालब बिहार (मगध) उड़ीसा के साथ 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग तो हो गया परन्तु इसकी समस्याएँ बरकरार रहीं, जिसके कारण 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा (ओडिशा) तथा 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड इससे अलग हो गए। आज भी बिहार शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से देश का सर्वाधिक

पिछड़ा राज्य बना हुआ है। कृषि पर निर्भरता प्रति वर्ष आने वाले भयंकर बाढ़, गरीबी तथा मजदूरों के पलायन के लिए प्रसिद्ध यह राज्य अब शिक्षा जगत में अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन यहाँ की शिक्षा प्रणाली की भी कई सीमाएँ हैं, जिनमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे की कमी और स्थानीय स्तर पर महाविद्यालयों के अभाव के कारण गरीब छात्र–छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में अनेक संभावनाएँ उत्पन्न होगी। यदि बिहार में इस नीति के अन्तर्गत शामिल डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों पर ध्यान दिया जाये तो राज्य के छात्र–छात्राओं के लिए यह नीति एक नया अवसर प्रदान कर सकती है। उच्च शिक्षा में बिहार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यहाँ के शिक्षा संस्थानों को बेहतर संसाधनों से सुसज्जित करने के साथ–साथ शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार, गुणवत्ता को प्रोत्साहन, छात्र–छात्राओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा संस्थानों की आधारभूत संरचना और कार्य संस्कृति में सुधार, समावेशन, नवाचार तथा अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप अत्याधुनिक बनाना है। बिहार में भी अब इस नीति का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। सन् 2020 में बिहार के प्रत्येक जिले में केवल एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ एक स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था थी, जहाँ सभी कक्षाओं के विद्यार्थी रोटेशन सिस्टम पर इस स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने हेतु प्रतिदिन सिर्फ एक क्लास का अवसर प्राप्त करते थे। आज जिले के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक स्मार्टक्लास रूम की स्थायी व्यवस्था कर दी गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत पारंपरिक कोर्स वाले कॉलेजों में शायद ही कहीं स्मार्ट क्लासरूम दखने को मिलते थे, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यांवयन के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल तथा वित्तीय अनुदान से आज प्रत्येक महाविद्यालय में ब्लैक बोर्ड का स्थान व्हाइट बोर्ड लेने लगा है। महाविद्यालयों में बिहार सरकार की पहल पर स्मार्ट पैनल तथा वीडियो कॉफ्रेंसिग रूम भी अस्तित्व में आ गए हैं, जहाँ बैठकर महाविद्यालय के पदाधिकारी विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की मीटिंग में ऑनलाईन सम्मिलित होते हैं जिससे आवागमन में लगने वाले समय एवं धन की बचत हो रही है, जिसका उपयोग आधारभूत संरचना विकास तथा छात्र–कल्याण में लगाया जा सकता है। सन् 2020 से पूर्व जहाँ आनलाईन शिक्षा की बात सिर्फ कानों को सुकून पहुँचाने के लिए होती थी, वहीं आज ऑनलाईन शिक्षा के लिए अनेक प्लेटफॉर्म विकसित हो गए हैं, जहाँ छात्र अपनी इच्छा और सुविधानुसार वन क्लिक में विषय वस्तु से सम्बंधित अनेक ई–कंटेण्ट तथा लाइव वीडियों प्राप्त कर अपने ज्ञान के भण्डार को बढ़ा रहे हैं। वर्त्तमान में बिहार के अनेक शिक्षक भी ऑनलाई शिक्षण हेतु कई सरकारी प्लेटफॉर्मों– SWAYAM, दीक्षा, ई–पाठशाला और स्वयंप्रभा के साथ–साथ कोर्सेरा, एडएक्स, अनएकेडमी जैसे अन्तरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त गूगल मीट तथा जूम जैसे वीडियो कॉफ्रेंसिंग टूल्स के उपयोग द्वारा छात्र–छात्राओं को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार का ऑनलाईन निःशुल्क शिक्षा प्लेटफॉर्म 'स्वयं' बिहारी शिक्षकों, छात्रों तथा पेशेवरों को देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार पाठ्य सामग्री हिन्दी में उपलब्ध करा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप यह बिहार जैसे गरीब तथा पिछड़े राज्य के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वीडियो व्याख्यान, पाठ्य सामग्री तथा क्विज एवं मंच–परिचर्चा द्वारा इंटरेक्टिव–लर्निंग से शिक्षा तक सार्वजनिक पहुँच को साकार कर रहा है। भारत सरकार की शैक्षिक पहल 'स्वयं प्रभा' भी उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री छात्र–छात्राओं को GSAT-15 उपग्रह के माध्यम से डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उन सुदूर क्षेत्रों के छात्रों तक टीवी के सहारे उपलब्ध कराती है, जहाँ इण्टरनेट की सुविधा नहीं है। स्वयंप्रभा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री बिहार के छात्रों को कम खर्च में घर बैठे उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यहाँ के गरीब छात्र–छात्राओं के लिए खान अकादमी गणित, विज्ञान जैसे कई विषयों की विश्व–विस्तरीय मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। खान ग्लोबल स्टडीज जैसे चैनल भी छात्रों के लिए ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन तथा वीडियो द्वारा सीखने और कौशल विकास में मदद करते हैं जिससे उन्हें परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन तथा शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा तंत्र बनाने पर जोर देती है, जो सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर भारत को वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बना सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ :

ढाँचागत विशेषताएँ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुराने 10+2 फॉर्मैट वाली स्कूली शैक्षिक ढाँचे को 5+3+3+4 से प्रतिस्थापित किया गया है, जो बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है। प्रथम स्टेज में पाँच साल का फाउण्डेशनल संरचना है, जिसमें तीन साल की प्री–प्राइमारी (आँगनबाड़ी) तथा कक्षा'–1 एवं कक्षा–2 की शिक्षा को शामिल किया गया है। दूसरे स्टेज में तीन साल की प्राथमिक शिक्षा अर्थात् कक्षा–3 से कक्षा–5 तक की शिक्षा सम्मिलित है। जहाँ फाउण्डेशन स्टेज (3–8 आयु वर्ग) छात्र–छात्राओं की नींव को मजबूत कर उनके समग्र विकास पर फोकस करता है, वहीं प्रिपरेटरी स्टेज (8–11 आयु वर्ग) छात्र–छात्राओं के लिए बुनियादी कौशल और अनुभवात्मक अधिगम पर केन्द्रित है। तीसरे स्टेज में तीन साल की मध्य विद्यालयी (कक्षा–6 से कक्षा–8 तक) शिक्षा को रखा गया है, जो व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत तथा विषयों की गहरी समझ पर केन्द्रित है अर्थात् इसमें रटने की जगह समझने पर फोकस किया गया है। चौथे स्टेज में चार साल की माध्यमिक (कक्षा–9 से कक्षा–12 तक) शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमें

14–18 आयु वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए इच्छानुसार विषयों का चुनाव, विशद् अध्ययन तथा आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर बल दिया गया है। इसमें शिक्षा को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर भारतीय छात्र–छात्राओं को वैश्विक श्रम–बाजार की चुनौतियों के लिए तैयार करना शामिल है।

मातृभाषा (स्थानीय भाषा) में शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को उनकी मातृभाषा, जिसकी वे सर्वाधिक समझ रखते हैं, में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है ताकि वे पाठ को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपना विचार बेझिझक व्यक्त कर सकें, जिससे उनका आत्म–विश्वास बढ़े और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो। मातृभाषा बच्चों की पहली भाषा होती है जिसे वे माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों से बचपन में सीख लेते हैं, जिससे मातृभाषा में जटिल विषयों को भी आसानी से समझने और विचारों को व्यक्त करने के कारण उनमें रचनात्मक गुण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसीलिए भारतीय सवंधिान के अनुच्छेद 350A एवं 2010 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम (अनुच्छेद–21A) में भी प्राथमिक शिक्षा हेतु मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है।

व्यावसायिक शिक्षा : कक्षा–6 से छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा तथा इण्टर्नशिप प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें अल्पायु से ही व्यावहारिक अनुभव, व्यावसायिक कौशल, रोजगार–उन्मुख तथा आत्मनिर्भर बनाकर वैश्विक गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करना है। इसके लिए कक्षा 6 से 8 तक व्यावसायिक शिक्षा की मूलभूत जानकारी प्रदान की जाएगी और ''बैगलेस डेज तथा इण्टर्नशिप'' द्वारा कार्यस्थल पर अनुभव को बढ़ावा मिलेगा जिसके लिए स्थानीय आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा छोटे MSME उद्योगों के साथ साझेदारी हेतु समझौता (MoU) कर सत्र 2026–27 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा ताकि कुशल और सक्षम कार्यबल द्वारा भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव : छात्र– छात्राओं को परम्परागत सैद्धांतिक शिक्षा से कौशल आधारित अनुभवात्मक शिक्षा की ओर अग्रसर करने तथा विषय के अतिभार को कम कर पाठ्यक्रम को लचीला बनाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम में आमूल–चूल परिवर्तन पर फोकस करती है। इसके तहत रटने के बजाय समझने तथा व्यावहारिक ज्ञान, कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही मूल्यांकन पद्धति को रटंत आधारित परीक्षाओं से हटाकर सतत, रचनात्मक तथा समग्र आकलन की ओर अग्रसर किया गया है, जिसमें ''परख'' और ''समग्र प्रगति कार्ड'' जैसे मानक शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी, पाँचवी और आठवीं कक्षाओं में राज्य स्तरीय मूल्यांकन की बात की गई है। कक्षा छः से व्यावसायिक शिक्षा, इण्टर्नशिप और पाठ्यक्रम में रचनात्मकता, तार्किक सोच, खेल तथा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेवारी एन.सी.ई.आर.टी. को सौंपी गई है। 360–डिग्री रिपोर्ट कार्ड के रूप में विख्यात समग्र प्रगति कार्ड शैक्षणिक, सामाजिक, सामुदायिक तथा भावनात्मक जुड़ाव एवं रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देनेवाली मूल्यांकन पद्धति लागू की जाएगी। बहुविकल्पीय प्रश्नों तथा सेमेस्टर सिस्टम द्वारा कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया जाएगा तथा कम्पार्टमेंटल परीक्षाओं का नाम परिवर्तित करके ''सुधार परीक्षा'' किया जाएगा। छात्र–छात्राओं की प्रगति का मूल्यांकन और सुझाव हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रट्टा मारने वाले पाठ्यक्रम की जगह, तार्किक सोच, कौशल तथा समग्र विकास पर फोकस करती है, जिसमें मूल्यांकन पद्धति भी व्यापक और छात्र–केंद्रित बनायी गयी है।

उच्च शिक्षा में सुधार : उच्च शिक्षा हेतु मल्टीपल एंट्री एण्ड मल्टीपल एग्जिट नीति के तहत सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री उपलब्ध कराने वाले शैक्षणिक प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को लचीला मार्ग प्रदान किया गया है, जो देश में उच्च शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इस प्रणाली की शुरूआत बिहार जैसे गरीब एवं बेरोजगारों के प्रान्त के लिए शिक्षा की सुलभता, समावेशिता तथा लचीलापन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगी। सन् 2023 में बिहार सरकार की अनीच्छा के बावजूद राज्यपाल (कुलाधिपति) के सचिवालय द्वारा लागू सी.बी.सी.एस. पद्धति पर आधारित चार वर्षीय स्नातक एवं एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.ई.एम.ई. प्रणाली द्वारा छात्रों को पढ़ाई में स्वतंत्रता, लचीलापन तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने पर भी प्रमाण–पत्र दिलाना सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर छात्र अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कोर्स में पुनः शामिल होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके अनुसार छात्र अण्डर ग्रेजुएट में एक साल बाद सर्टिफिकेट, दो साल बाद डिप्लोमा, तीन साल बाद डिग्री और चार साल बाद डिग्री विद रिसर्च प्राप्त कर सकेंगे। चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्र एक वर्षीय (दो सेमेस्टर) स्नातकोत्तर हेतु योग्य हो जाते हैं, परन्तु स्नातक में 7.5 सी.जी.पी.ए. की अर्हतांक अनिवार्य है। छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) में जमा हो जाता है, जिसका उपयोग वे बाद में डिग्री प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं और इस प्रकार उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छात्रों को बहु–विषयक पाठ्यक्रम के तहत अपने मूल संकाय से मेजर तथा माइनर विषय चुनना है, जबकि एमडीसी में मूल संकाय को छोड़कर किसी अन्य संकाय से एक विषय का चयन अपनी इच्छानुसार करना है। द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में पूर्व में लिए गए एमडीसी विषय को छोड़ देना है, जिससे छात्रों को बहुविषयक ज्ञान अर्जित करने का भरपूर मौका मिल जाता है।

एबिलिटी एंहांसमेण्ट कोर्स क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सेमेस्टर एक से सेमेस्टर चार तक क्रमशः आधुनिक भारतीय भाषा,

पर्यावरण विज्ञान, आपदा जोखिम प्रबंधन तथा एनसीसी0/एनएसएस/स्पोर्ट्स/स्काउट एवं गाइड विषयों को शामिल किया गया है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम द्वारा छात्र–छात्राओं की रोजगार क्षमता तथा व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। दैनिक जीवन में संचार या संप्रेषण के अन्तर्गत रिश्तों एवं आपसी समझ को मजबूत करने के लिए रोजमर्रा की जिन्दगी में बोलकर लिखकर या हाव–भाव से विचारों का आदान–प्रदान सिखाया जाता है। वहीं व्यावसायिक जीवन में संप्रेषण द्वारा सांगठनिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यस्थल पर विचारों या जानकारी को प्रभावी तरीके से मौखिक, लिखित अथवा डिजिटल माध्यम से संगठन के विभिन्न स्तरों अथवा एक ही स्तर के विभिन्न विभागों तक पहुँचाया जाता है। छात्रों को डिग्री प्रदान करने के साथ–साथ उनका नैतिक मूल्य और कौशल गुण बढ़ाकर कैरियर सँवारने हेतु मूल्य संवर्द्धन पाठ्यक्रम जोड़ा गया हैं जिसमें स्वच्छ भारत और योग–दर्शन पढ़ाया जाता है।

उच्च शिक्षा में मूल्यांकन पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया गया है। इसके अन्तर्गत सतत आंतरिक मूल्यांकन पूरे सेमेस्टर के दौरान असाइनमेंट, क्विज, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन के माध्यम से चलता रहता है जो छात्रों को दिए जाने वाले कुल अंक का दस प्रतिशत होता है। पन्द्रह प्रतिशत अंक की एक लिखित परीक्षा होती है तथा पाँच प्रतिशत अंक छात्र–छात्राओं की उपस्थिति तथा कंडक्ट पर दिया जाता है। इस प्रकार कुल 100 अंकों में 30 अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन तथा 70 अंक सेमेस्टर के आखिर में होने वाली ईएसई परीक्षा के लिए निर्धारित होती है। सीबीसीएस के अन्तर्गत मूल्यांकन पद्धति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 10 प्वाइंट ग्रेडिंग सिस्टम के अनुरूप बनायी गई है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के अन्तर्गत छात्र अपनी इच्छा एवं रुचि के विषय चुनते हैं तथा उनके प्रदर्शन को अंक के बदले सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एस.जी.पी.ए) और कुम्युलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (सी.जी.पी.ए) की गणना का आधार सभी क्रेडिट और ग्रेड होते हैं, जो छात्र–छात्राओं के समग्र शैक्षणिक प्रगति को प्रदर्शित करते हैं।

तकनीकी का प्रयोग : शिक्षा में तकनीकी के उपयोग से शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया आकर्षक, प्रभावी तथा अधिक लचीली बन जाती है। यह छात्र–छात्राओं को इण्टरनेट, सिमुलेशन, वीडियो तथा एनडीएल जैसे विशाल ऑनलाईन लाइब्रेरी के माध्यम से शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराता है। साथ ही इसका उपयोग छात्र–छात्राओं को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप डिजिटल कौशल और शिक्षकों को छात्र–छात्राओं की प्रगति का आकलन कर तदनुरूप शिक्षण में मदद करता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर तथा स्मार्ट बोर्ड जैसे इंटरैक्टिव टूल्स के माध्यम से सरल, आकर्षक और मजेदार तरीके से पाठ को सिखाने में सफल रहते हैं। गूगल क्लासरूम और मूडल जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होमवर्क, असाइनमेंट तथा संचार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं, वहीं जूम, गूगलमीट, एम.एस. टीम्स जैसे रिमोट टूल्स दूर–दराज के शिक्षार्थियों के लिए घर बैठे शिक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में अग्रणी है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों के सीखने के अनुभव एवं गति को बेहतर बनाता है। भौगोलिक बाधाओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक छात्रों की पहुँच बढ़ती है। डिजिटल उपकरण कक्षा को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाकर शिक्षा में छात्रों की रुचि और भागीदारी को बढ़ाते हैं। साथ ही इससे महंगी पाठ्यपुस्तकों तथा मूलभूत ढाँचे की लागत में कमी आती है। इस प्रकार शिक्षा में तकनीकी या प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अत्याधुनिक, अधिक प्रभावी तथा छात्र–केंद्रित बनाकर छात्रों को डिजिटल युग की ओर उन्मुख करता है।

समावेशी शिक्षाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा में समानता लाने हेतु समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देती है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों, विशेषकर दिव्यांगों तथा वंचित समूहों को एक ही कक्षा में समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, जिससे पारंपरिक बाधाएँ टूटती हैं तथा समता मूलक समाज का निर्माण होता है। कक्षा में सभी के लिए अपनेपन की भावना तथा स्वीकृति का माहौल व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने और उनका सम्मान करने में सहायता करते हैं। बच्चों में जागरूकता और संवेदनशीलता आती है तथा कमजोर छात्रों को भी सीखने के उपयुक्त माहौल के कारण सभी छात्रों के शैक्षणिक परिणाम बेहतर होते हैं। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों विशेषकर दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित है तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, शौचालय तथा पुस्तकालयों तक सुरक्षित पहुँचने हेतु रैम्प और हैण्डरेल जैसे आधारभूत संसाधनों पर फोकस करती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को समाज की एक नितांत आवश्यकता मानती है, जो प्रत्येक बच्चे के सम्मान, सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करती है, जिससे अन्ततः एक समतामूलक तथा सशक्त समाज का निर्माण प्रशस्त होता है।

शिक्षक सशक्तिकरण : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को परिवर्तन का प्रमुख सूत्रधार मानती है। उनके निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50 घण्टे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसमें शिक्षण के नवीन तरीकों तथा शिक्षण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है। उनमें कौशल विकास हेतु ए.आई. तथा कोडिंग जैसे विषयों की समझ विकसित की जा रही है। शिक्षकों को पढ़ाने के तरीके स्वयं चुनने तथा प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि शिक्षण के साथ नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके। नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षकों की भर्त्ती और पदोन्नति में पारदर्शिता के माध्यम से उनके कैरियर विकास पर फोकस किया गया है। बिहार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नियोजित शिक्षकों को आन्तरिक

परीक्षा तथा प्रशिक्षण के बाद विशिष्ट शिक्षक एवं तदोपरान्त बीपीएससी शिक्षक बनाया गया है और कई लाख शिक्षकों की नई भर्त्ती की गई है। शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा और ई–कंटेण्ट के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार कर सकें।

उच्च शिक्षा नियामक : यह देश में परम्परागत विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन, वित्त पोषण, गुणवत्ता तथा मानकों को सुनिश्चित कराने वाला निकाय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1956 में स्थापित) की जगह भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् को अस्तित्व में लाने की बात कही गई है। भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित तथा विनियमित करने वाली संस्थाएँ समयानुसार बदलती रही हैं। सन् 1987 में स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा 1995 में वैधानिक निकाय बनी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यदि भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् पूर्णतः अस्तित्व में आता है तो इसके चार उपनिकाय होंगे जिनमें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद् शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान को, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद् वित्त पोषण और अनुदान को तथा सामान्य शिक्षा परिषद् अधिगम के परिणामों के निर्धारण, नियंत्रण तथा विनियमन का कार्य करेंगे। इनके अतिरिक्त मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए अलग नियामक अस्तित्व में हैं। इन सभी नियामक संस्थाओं का मुख्य कार्य शैक्षिक मानकों का निर्धारण, वित्तीय अनुदान, गुणवत्ता की जवाबदेवी, प्रशासनिक हस्तक्षेप का न्यूनीकरण तथा समान और सुरक्षित शैक्षिक माहौल का निर्माण करना है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख चुनौतियाँः

आधारभूत संरचना एवं डिजिटल उपकरण : बिहार, झारखण्ड एवं ओडिशा जैसे गरीब राज्यों में आधारभूत संरचना शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रमुख चुनौती है। जर्जर एवं भवनविहीन कक्षाएँ, स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, पुस्तकालय, खेल का मैदान और डिजिटल उपकरणों का अभाव छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य, एकाग्रता तथा अधिगम को बाधित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट को बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक छात्रों की पहुँच को न्यूनीकृत करता है। साथ ही सुदूर ग्रामीण स्कूलों में बिजली, इण्टरनेट, कम्प्यूटर, स्मार्ट बोर्ड एवं प्रोजेक्टर जैसे डिजिटल संसाधनों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी छात्रों को आधुनिक कौशल से वंचित करती है। आधारभूत संरचना और डिजिटल उपकरणों से विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को सुसज्जित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और सामुदायिक सहयोग द्वारा धन और संसाधनों का समुचित निवेश करना होगा।

प्रशिक्षित एवं प्रेरित शिक्षकों की कमी : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों के अनुरूप तैयार आधुनिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु प्रेरित तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का घोर अभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक छात्रों की पहुँच में सबसे बड़ी बाधा है। यह प्रौद्योगिकी और गतिविधि आधारित आधुनिक शिक्षण विधियों को सीधे प्रभावित कर छात्र–छात्राओं में अधिगम क्षमता और कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करती है। सुदूर ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में इसकी तीव्रता सर्वाधिक महसूस की जाती है, जहाँ छात्र उचित मार्गदर्शन के अभाव में रचनात्मक और तार्किक समझ विकसित करने की जगह रटंत विद्या की ओर अग्रसर होते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाला मानवबल तैयार करने हेतु शिक्षकों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल तथा आधुनिक शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण की जरूरत है, जो वर्तमान में बिहार–झारखण्ड जैसे गरीब एवं पिछड़े राज्यों में कठिन है। खराब शैक्षिक माहौल तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ–साथ आवागमन की असुविधा वाले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती उनमें असंतोष तथा बर्नआउट की समस्या पैदा करती है, जिसके कारण वे आधुनिक श्रम बाजार हेतु कुशल मानव बल तैयार नहीं कर पाते हैं। नई भर्त्ती, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, उच्च वेतनमान, सतत व्यावसायिक विकास, बेहतर कार्य–स्थिति, सम्मान, मेंटरशिप तथा सामुदायिक भागीदारी द्वारा प्रतिशिक्षित एवं प्रेरित शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है।

समवर्ती सूची में शिक्षा का स्थान : शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के समवर्त्ती सूची में रखा गया है, जिससे सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों को भी प्राप्त है, परन्तु दुर्भाग्य से एक ही उप–विषय पर यदि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें अपना–अपना कानून बना लें तो केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है, जिसके कारण राज्यों की स्थानीय जरूरतों एवं स्वायत्तता को आघात पहुँचता है। साथ ही राज्य विशेष की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधताओं को नजरअंदाज किया जाता है, जो स्थानीय जनता में असंतोष का कारण बनता है। एक ही विषय पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम बनाने से राष्ट्रीय और प्रांतीय नीतियों के बीच टकराव और कार्यांवयन में देरी होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यांवयन में विलम्ब अथवा धीमी गति है। बिहार जैसे कई राज्यों में अभी भी इसे पूर्ण रूप से कार्यांवित नहीं किया जा रहा है। शिक्षा पर केन्द्र सरकार के प्रभुत्व अथवा नियंत्रण के कारण राज्यों की शैक्षिक नीतियों में केन्द्रीय हस्तक्षेप बढ़ता है, जबकि शिक्षा पर केन्द्रीय व्यय का अंश मात्र 15 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी राज्यों के लिए एक समान उपयुक्त नहीं होने कारण इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा इस केन्द्रीय नीति के प्रति असंतोष (दक्षिण भारतीय राज्यों में) बढ़ रहा है। भविष्य में यूजीसी तथा एन.सी.ई.आर.टी. जैसे केन्द्रीय शैक्षिक निकायों द्वारा राज्यों के शैक्षिक संस्थानों पर नियंत्रण लगाने का भय व्याप्त है। शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय (85 प्रतिशत) राज्य

सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन शैक्षिक नीति केन्द्र सरकार द्वारा बनाए जाने से शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षा तक सार्वत्रिक पहुँच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जो आम जनता की अपेक्षाओं के प्रतिकूल है।

मूल्यांकन पद्धति में बदलाव : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन की पुरानी अंक आधारित प्रणाली की जगह योग्यता–आधारित अत्याधुनिक मूल्यांकन प्रणाली पर फोकस करती है। जहाँ अंक आधारित मूल्यांकन पद्धति में छात्र–छात्राओं को परीक्षा या असाइनमेंट में संख्यात्मक अंक दिए जाते हैं, जिससे उनके समग्र प्रदर्शन, ताकत और कमजोरी को शिक्षक के साथ–साथ स्वयं छात्र भी समझ सकते हैं, वहीं योग्यता आधारित मूल्यांकन पद्धति में छात्र–छात्राओं के विशिष्ट कौशल, ज्ञान और समस्या–समाधान की क्षमता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह मूल्यांकन की अत्यधिक लचीली पद्धति है जिसमें छात्र की विषय के प्रति गहरी समझ, निरंतर अधिगम और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। इसके प्रमुख गुणों में निष्पक्षता, वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यावहारिकता को सम्मिलित किया गया है। इन सभी गुणों के बावजूद यह मूल्यांकन पद्धति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यांवयन में बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों का कौशल विकास, छात्रों की मानसिक रूप से तैयारी और सुदृढ़ शैक्षणिक रणनीति की जरूरत होगी, जो बदलाव को वास्तव में बेहतर बना सके।

वित्तपोषण की कमी : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा और आधारभूत संरचना के विकास पर सर्वाधिक फोकस करती है ताकि देश में शिक्षा के स्तर को अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाकर वैश्विक गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा हेतु भारतीय छात्र–छात्राओं को तैयार कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में 2025–26 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शिक्षा, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना के उन्नयन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है तथा 2024–25 की तुलना में शिक्षा बजट में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रू0 1.28 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो कुल केन्द्रीय बजट का 2.52 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.36 प्रतिशत मात्र है, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य 6 प्रतिशत से काफी कम है। साथ ही शिक्षा समवर्त्ती सूची का विषय है, जिसके कारण केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करने हेतु 85 प्रतिशत फण्ड राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ता है, लेकिन बिहार, झारखण्ड तथा ओडिशा जैसे गरीब राज्य फण्ड की कमी के कारण इसे पूर्णतः लागू करने में असमर्थ दिखते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय, निजी तथा विदेशी निवेश के बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महात्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को धरातल पर उतारना कठिन है।

छात्रों पर दबाव और प्रतिस्पर्द्धा : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पारंपरिक परीक्षाओं का बोझ कम होगा, परन्तु सतत मूल्यांकन (आतंरिक एंव बाह्य), प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रजेंटेशन, क्विज़ तथा प्रैक्टिकल के साथ–साथ इंटर्नशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल शिक्षा (मशीन लर्निंग) से परिणाम की चिन्ता और प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स एवं कोडिंग प्रारंभ होने के कारण व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करने का दबाव, ऑनलाईन शिक्षा के कारण निर्धन एवं ग्रामीण छात्र–छात्राओं पर इण्टरनेट का दबाव, विषय चयन के समय अपनी रुचि एवं कैरियर के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु मानसिक द्वंद्व का सामना, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के कारण अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का दबाव छात्रों को मानिसक रूप से परेशान करने वाले नये प्रकार के चुनौतीपूर्ण दबाव हैं यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र–छात्राओं पर पारम्परिक परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम को रटने की जगह समझने और कौशल विकास पर केन्द्रित है, तथापि उपरोक्त दबाव उन्हें मानसिक रूप से परेशान करेंगे। इस नीति द्वारा बढ़ाई गई प्रतिस्पर्द्धा छात्रों पर नकारात्मक दबाव डालेगी। मानकीकृत बोर्ड परीक्षाओं के कारण उनपर शैक्षणिक दबाव तथा मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिनके परिणामस्वरूप छात्रों के समग्र कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भाषा सम्बंधी विवाद : त्रिभाषा सूत्र और कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण उत्पन्न विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यांवयन में बहुत बड़ी बाधा है। तमिलनाडु जैसे कई गैर–हिन्दी भाषी राज्य इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से उनपर हिन्दी को थोपने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी भी कई राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं होने या कई भाषाओं के छात्र होने के कारण प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। साथ ही क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कमी है। भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में सिर्फ कुछ चुनिन्दा भाषाओं पर जोर बहुभाषिकता को हतोत्साहित करेगा जो नीति के कार्यांवयन के लिए एक बड़ी चुनौती है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच भाषा के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी इस नीति के कार्यांवयन में एक बड़ी रूकावट है। इन सब का कुप्रभाव विद्यार्थियों के पठन–पाठन पर असर डाल रहा है। इस विवाद का हल केन्द्र और राज्यों के बीच रचनात्मक संवाद, भाषा चयन में लचीलापन तथा हिन्दी को सखी भाषा के रूप में पेश कर किया जा सकता है।

व्यावसायिक शिक्षा : व्यावसायिक विषयों के अध्यापन हेतु प्रशिक्षित–प्रेरित शिक्षकों की कमी से शिक्षण की गुणवत्ता दुष्प्रभावित होती है। भारत में अभी भी व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक से निम्न दर्जे का समझा जाता है तथा इसमें छात्रों का नामांकन भी अपेक्षाकृत कम है। मौजूदा व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्तमान औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप नहीं होने के कारण कौशल अन्तर की समस्या बनी हुई है। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु संस्थानों में सीटें खाली पड़ी हैं, जिसके कारण ''हर छात्र कौशल सीखे'' जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के कार्यांवयन में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। अधिकतर व्यावसायिक कोर्सों में नामांकन

शुल्क की अधिकता बिहार सहित देश के सभी निर्धन बच्चों को हतोत्साहित करती है, जिससे समाज में कौशल अन्तर की समस्या भी बनी हुई है।

शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण : शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से यह सेवा की बजाय एक व्यापार बन गई है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित हो गई है तथा इन निजी संस्थानों में फीस अधिक होने के कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के छात्र उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इण्टरनेट, मोबाइल या लैपटॉप की कमी डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा तक ग्रामीण एवं निर्धन छात्रों की पहुँच में सबसे बड़ी बाधा है, जो डिजिटल अन्तर को देश में ''भारत और इण्डिया'' की अवधारणा को चरितार्थ करती है। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण ने कम आय वाले बच्चों के लिए डिजिटल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को महंगी वस्तु बनाकर समावेशी शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा कायम की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यांवयन में एक बड़ी बाधा बन सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिहार के छात्रों के लिए प्रमुख अवसर : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यांवयन में बाधक अनेक कारकों की उपस्थित के बावजूद यह बिहार के छात्र–छात्राओं के लिए निम्नलिखित लाभदायक अवसर भी प्रदान करती है :–

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास : बिहार के छात्र–छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2026–27 से विद्यालयों में कक्षा–6 से व्यावसायिक कोर्स आरंभ करने की योजना है, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई शिक्षा), इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर तथा कम्प्यूटर जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। इससे उन्हें विशिष्ट उद्योगों के लिए तकनीकी कौशल प्राप्त होगा, जिससे सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे अपना स्टार्टअप व्यवसाय शुरू कर दूसरों को रोजगार देने वाला बन सकते है। इंटर्नशिप और वर्कशॉप से प्राप्त अनुभव व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि करेगा तथा छात्र शिक्षित होने के साथ–साथ काम करने के लिए भी तैयार होंगे। साथ ही उद्योग आधारित कौशल प्राप्त होने से उच्च वेतनमान वाली नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं वंचित शहरी महिलाओं का कौशल विकास होने से उन्हें कैरियर शुरू करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक परनिर्भरता कम होगी।

पीएम श्री स्कूलों का लाभ : पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्र–छात्राओं को अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना तथा राष्ट्रवाद की भावना जगाकर सशक्त नागरिक बनाना है। इस योजना के तहत बिहार के 789 स्कूलों सहित सम्पूर्ण भारत में 14500 से अधिक नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय तथा राज्य सरकार के विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान और कम्प्यूटर के लिए प्रयोगशालाएँ तथा खेल का मैदान से 2026–27 तक सुसज्जित करने की भारत सरकार की योजना है, जिसमें खेल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा पर फोकस होगी। इससे बिहार सहित अनेक निर्धन राज्यों के बच्चे भी कौशल विकास, रचनात्मकता तथा मानसिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों से अपना समग्र विकास करेंगे तथा कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जैसे 21 वीं सदी के कौशलपूर्ण ज्ञान का भरपूर लाभ उठाएंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी वातावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक उद्यान, सौर ऊर्जा से सुसज्जित पर्यावरण अनुकूल विद्यालयों का लाभ बिहार के गरीब वंचित छात्र–छात्राओं को भी मिलेगा।

मातृभाषा में शिक्षा : देश में भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सन् 1968 के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र के तहत छात्र–छात्राओं को हिन्दी एवं अंग्रेजी के साथ एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य बनाया गया था। इसमें पहली भाषा स्थानीय या क्षेत्रीय होनी चाहिए तथा दूसरी एवं तीसरी भाषा हिन्दी, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। इस नीति के अनुसार बिहार के छात्र कम–से–कम कक्षा 5 तक अपनी पढ़ाई भोजपुरी, हिन्दी, मैथिली या मगही में कर सकते हैं, जिससे विषय को समझना उनके लिए आसान होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में छात्र–छात्राओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। छात्र–छात्राओं में रचनात्मक क्षमता तथा आलोचनात्मक या तार्किक सोच विकसित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों में ड्रॉपआउट की दर घटेगी तथा उनमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ाव बढ़ेगा।

समावेशी शिक्षा : समावेशी शिक्षा दिव्यांग एवं वंचित समूह के छात्र–छात्राओं को सामाजिक रूप से सशक्त और शैक्षणिक रूप से विकसित बनाने के लिए सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। बिहार में समावेशी शिक्षा पद्धति मध्याहन् भोजन, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक तथा मैट्रिक, इण्टर एवं स्नातक डिग्री पर प्रोत्साहन राशि देकर छात्र–छात्राओं को विद्यालय तथा महाविद्यालय की शिक्षा की ओर आकर्षित करती है तथा ड्रॉपआउट न्यूनीकरण में सहयोग करती है। बिहार के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सरकार स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, हैण्ड रेल, रैम्प, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल उपकरण, हवील चेयर, ब्रेल लिपि में पाठ्यपुस्तक जैसी सुविधाएँ प्रदान कर सभी के लिए शिक्षा को बाधा रहित बना रही है। सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ने से दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उनमें संवाद कौशल तथा सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे उनका सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास सामान्य तरीके से होता है। बिहार सरकार दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन एवं शिक्षण हेतु शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रही है। समावेशी शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अकादमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल विकास पर विशेष फोकस करती है। यह सामाजिक समानता एवं न्याय को बढ़ावा देने के लिए हर बच्चे को एक समान शिक्षण तथा अधिगम का अवसर प्रदान करती है, जिससे बच्चों में दूसरे के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता तथा सामंजस्य की भावना विकसित होती है और अन्ततः सामाजिक समरसता और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण होता

है। समावेशी शिक्षा से बच्चों की प्राकृतिक प्रतिभा का विकास होता है, जिससे वे भविष्य में सशक्त तथा जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तथा उनमें आत्म–सम्मान की भावना विकसित होती है। इससे समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह एवं कलंक दूर होते हैं और एक समावेशी समाज का निर्माण होता है।

लचीला पाठ्यक्रम : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम के लचीलापन पर फोकस करती है ताकि इसे छात्र केन्द्रित, समावेशी तथा अनुकूलनीय बनाकर छात्र–छात्राओं में व्यावसायिक कौशल, तकनीकी प्रगति तथा तार्किक सोच विकसित किया जा सके। लचीला पाठ्यक्रम बिहार के छात्र–छात्राओं को उनकी स्वयं की गति से अधिगम, रुचि एवं इच्छानुसार विषयों का चयन तथा कौशल आधारित शिक्षा द्वारा कैरियर विकास हेतु व्यापक अवसर प्रदान करता है। यह व्यवस्था बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड और अत्याधुनिक शिक्षा मॉडलों के माध्यम से अन्य गतिविधियों के साथ अध्ययन को जारी रखने में सहायता करता है। छात्र–छात्राओं को बिना किसी दबाव के पारंपरिक ज्ञान की जगह रोजगारोन्मुख शिक्षा द्वारा निर्धन एवं वंचित समूहों के छात्र–छात्राओं को सीधे नौकरी या स्वरोजगार (व्यवसाय) हेतु तैयार करता है। इसमें छात्र विभिन्न संकायों से अपनी रुचि का विषय चुनकर अपने लिए एक बहु–विषयक ज्ञान की टोकरी संयोजित कर सकते है। यह स्कूल–कॉलेज नहीं जाने वाले सुदूर ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को भी डिजिटल संसाधनों द्वारा ऑनलाईन उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है तथा उनमें रचनात्मक कौशल, निर्णयन क्षमता एवं जीवन कौशल विकसित कर आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है।

360^{व} समग्र विकास रिपोर्ट : मूल्यांकन की यह पद्धति रचनात्मकता, तार्किक सोच तथा व्यावहारिक कौशल पर आधारित है, जो बिहार जैसे निर्धन राज्य के छात्र–छात्राओं को शारीरिक, मानसिक, तकनीकी तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हेतु अवसर प्रदान करती है। डिजिटल बोर्ड तथा स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से सरकरी विद्यालयों के छात्र–छात्राएँ भी आधुनिक शिक्षा और तकनीक का लाभ ले रहे हैं। भारत सरकर के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत 'मनोदर्पण' पहल के तहत छात्रों, शिक्षकों एवं उनके परिवारों को कोविड–19 के समय से मानसिक स्वास्थ्य तथा भावनात्मक कल्याण के लिए टेली–परामर्श दिया जा रहा है, जो प्रत्येक शुक्रवार को अपराह्न 2:30 से 4:00 बजे तक लाइव 'सहयोग' सत्र में प्रसारित होता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रेरित कर उनमें रचनात्मकता और सांस्कृतिक दक्षता को बढ़ावा देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे शहर और ग्रामीण छात्रों के बीच शैक्षिक असमानता कम होती है। यह रिपोर्ट बिहार जैसे निर्धन राज्य की नई पीढ़ी को तकनीकी दृष्टिकोण से सक्षम तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाकर गलाकाट वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है।

बाल्या अवस्था देखभाल : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तीन से छः वर्ष उम्र वाले बच्चों के लिए बिहार में 'बालवाटिका' की शुरूआत की गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (इसीसीइ) खेल आधारित एक समग्र शिक्षा और देखभाल कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। तीन से छः वर्ष के बच्चों की शिक्षा को आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रथम बार स्कूल प्रणाली में विधिवत रूप से सम्मिलित कर इसे शिक्षा का आधारभूत चरण कहा गया है, जिसमें तीन वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा (आँगनबाड़ी) तथा दो वर्ष की कक्षा 1 से 2 की शिक्षा सम्मिलित है। यही कारण है कि बिहार में आँगनबाड़ी को नजदीकी प्राथमिक विद्यालय से संलग्न कर दिया गया है। आँगनबाड़ी सेविका को बाल केन्द्रित शिक्षा एवं सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इन बच्चों के लिए पौष्टिक मध्याह्न भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण हो सके।

चार वर्षीय बी0.एड. कोर्स : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। यह अभी बिहार के सिर्फ चार संस्थानों में लागू है और ये चारों संस्थान बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से सम्बद्ध हैं। इनमें बीए–बीएड, बीएसी–बीएड तथ बीकॉम–बीएड की पढ़ाई हो रही है जो शिक्षा को एकेडमिक ग्रेजुएशन के साथ संयोजित करता है। इससे छात्र–छात्राओं को एक वर्ष की बचत होती है। इसके पाठ्यक्रम में इर्न्टनशिप, व्यावहारिक शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षण तकनीक पर सर्वाधिक बल दिया गया है। छात्र अपनी रुचि एवं पसन्द के विषय में विशेषज्ञता हासिल कर जल्दी ही शिक्षण क्षेत्र में अपना कैरियर प्रारंभ कर देते है। इससे छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन तथा शिक्षा में नई तकनीकी (डिजिटल या एआई शिक्षा तथा कोडिंग) के उपयोग जैसे कौशल विकसित होता है।

संदर्भ – सूची

- भारत सरकार (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
  URL : https://www.education.gov.in
  https://www.education.gov.in/en
- अम्बेडकर, बी.आर. (2015), भारतीय शिक्षा की नीति और समाज, पेंगुइन बुक्स इंडिया, नई दिल्ली
- कुलश्रेष्ठ, एस. (2019), भारत में उच्च शिक्षा : चुनौतियाँ और समाधान, पेंगुइन बुक्स इंडिया, नई दिल्ली
- सिंह, शंकर (2021), नई शिक्षा नीति और सामाजिक समावेश, वाणी प्राकशन, लखनऊ
- शंकर, आर (2020) , नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव : एक विश्लेषण, शिक्षा और समाज (Journal of Education and Society) 25 (4), पेज 102–112
- मिश्र, आर और यादव, बी. (2020), भारत में उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, आधुनिक शिक्षा (Modern Education Journal), 12 (2) पेज 58–68
- देसाई, ए. (2021), नई शिक्षा नीति और इसके प्रभाव, शैक्षिक नीति समीक्षा (Education Policy Review), 19(3), पेज 45–60
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ugc.gov.in
  - अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की वेबसाइट : https://www.aishe.gov.in/hi/
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2021), उच्च शिक्षा के बारे में वार्षिक रिपोर्ट
- https://manodarpan.education.gov.in
- https://onlinenotebank.wordpress.com